तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	खण्ड पीठ **श्री मोहनलाल नेहरा, सदस्य** **श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य** उपस्थित :– श्री वीरेन्द्र सिंह राठौड, अभिभाषक अपीलार्थी श्रीमती पूनम माथुर, उप राजकीय अभिभाषक रेस्पोंडेंट **निर्णय** यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के अंतर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाडमेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30–6–03 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील ज्ञापन अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी वादी ने एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखंड अधिकारी गुडामालानी के समक्ष बाबत् विवादित आराजी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम भीलों की ढाणी(बरासण) में स्थित आराजी खसरा नंबर 1245 रकबा 650 बीधा 11 बिस्वा हाल खसरा नंबर 1245/7 रकबा 625 बीघा एवं हाल खसरा नंबर 1245 रकबा 25 बीधा 11 बिस्वा में से 120 बीघा भूमि खातेदारी अधिकारों की घोषणा किये जाने, राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किये जाने एवं स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी किये जाने बाबत् प्रस्तुत किया। परीक्षण न्यायालय उपखंड अधिकारी ने उभय पक्ष को सुन कर आवश्यक तनकीयात कायम करते हुये अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 29–3–03 द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया। जिससे असन्तुष्ट हो कर अपीलांट् ने प्रथम अपील, राजस्व अपील प्राधिकारी बाडमेर के यहां प्रस्तुत की। जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 30–6–2003 द्वारा निरस्त कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील राजस्व मण्डल में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई है। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील ज्ञापन मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय न्याय, नियम एवं रिकोर्ड से परे है। विवादित आराजी पर अपीलांट वादी का कब्जा वक्त सेटलमेंट से पूर्व से निरंतर चला आ रहा है। वक्त सेटलमेंट संवत् 2011–12 में उक्त भूमि वादी अपीलांट ने राजस्व कर्मचारियों के साथ रह कर नपता भी दी थी किंतु सेटलमेंट विभाग ने भूल से यह भूमि बिला कब्जा पडत के तौर सरकार के खाते में दर्ज कर दी। जबकि भौतिक	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	कब्जा मौके पर अपीलांट वादी का निरंतर चला आ रहा है। वादी अपीलांट ग्रामीण परिवेश एवं निरक्षर होने के कारण राजस्व रिकोर्ड में हुये गलत इंद्राज बाबत् कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई और न ही प्रतिवादी ने कभी वादी अपीलांट के कब्जेकाश्त में कोई हस्तक्षेप किया। कालांतर यह में भूमि सरकार द्वारा वन विभाग को आवंटित कर सोंप दी गई तथा आवंटन से पूर्व वादी अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। बिना किसी विरोध के लम्बे समय तक विवादित आराजी पर अपीलांट वादी का कब्जाकाश्त रहने के कारण एडवर्स पजेशन के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63(1)(4) सपठित धारा 27 मियाद अधिनियम के अनुसार विवादित भूमि के खातेदारी अधिकार स्वतः ही अपीलांट वादी में निहित हो चुके है। वाद को सिद्ध करने के लिये वादी अपीलांट ने मौखिक साक्ष्य भी प्रस्तुत की। मौका कमिश्नर रिपोर्ट में भी कब्जा अपीलांट वादी का सिद्ध है। ऐसी स्थिति में वन विभाग के पक्ष में प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों की अनदेखी कर किये गये आवंटन को निरस्त कर अपीलांट के पक्ष में विवादित आराजी बाबत् खातेदारी अधिकारों की घोषणा किया जाना न्यायाचित होते हुये भी दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने वादी का वाद निरस्त करने में गंभीर त्रुटि की है। अतः दोनो अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाकर यह द्वितीय अपील स्वीकार की जावे। विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थीगण ने उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये बहस में कहा कि अपीलांट वादी विवादिज आराजी पर कब्जा 1955 से पूर्व से आदिनांक तक निरंतर साबित नहीं कर पाये है। ऐसी स्थिति में विवादित भूमि पर उसका कब्जा अधिक से अधिक अतिक्रमी के तोर पर है। विवादित भूमि वर्तमान राजस्व रिकोर्ड में वन विभाग के नाम दर्ज है। विवादित आराजी धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से प्रतिबंधित है। दोनो अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है और अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में क्षेत्राधिकार सम्बन्धी अथवा विधिक या तथ्यपरक ऐसी कोई त्रुटि नहीं है जिसके आधार पर उसमें हस्तक्षेप किया जा सके। अतः अपील खारिज की जावे। विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं प्रस्तुत लिखित बहस के साथ पत्रावली पर उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों का अवलोकन व अध्ययन किया गया। अपीलांट वक्त सेटलमेंट से विवादित आराजी पर अपना निरंतर कब्जा बताते हुये संवत् 2012 से अपने कब्जे के आधार पर विवादित भूमि बाबत् जरिये वाद अंतर्गत धारा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खातेदारी अधिकार प्राप्त करना चाहता है, किंतु उसने दोनों अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य/सबूत प्रस्तुत नहीं किया है जिससे उसके इस कथन की पुष्टि होती हो। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय विवादित भूमि पर कब्जे के आधार पर खातेदारी प्राप्त करने के लिये यह आवश्यक है कि वादी ऐसी विवादित भूमि पर अपना कब्जा उक्त दिनांक व उसके पश्चात् वाद प्रस्तुत किये जाने की दिनांक तक निरंत बतौर एडमिटेड काश्तकार होना सिद्ध करें, जो वादी अपीलांट द्वारा नहीं किया गया है। विद्वान अभिभाषक अपीलांट का यह कथन कि बिना किसी विरोध के लम्बे समय तक विवादित आराजी पर अपीलांट वादी का कब्जाकाश्त रहने के कारण एडवर्स पजेशन के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63(1)(4) सपठित धारा 27 मियाद अधिनियम के अनुसार विवादित भूमि के खातेदारी अधिकार स्वतः ही अपीलांट वादी में निहित हो चुके है, मानने योग्य नहीं है क्योंकि हमारी विनम्र राय में इस सबंध में आरआरडी 2011 पेज 508 में स्पष्ट प्रतिपादित किया गया है कि :– Rajasthan Tenancy Act, Section 232 - The questions as referred by Division Bench of this court for consideration of the Full Bench -(1) Whether Khatedari rights can be conferred on a trespasser on the basis of adverse possession; (2) whether tenancy rights extinguished u/s 63(1)(iv) of the Act of 1955 creates khatedari rights on trespasser on the basis of adverse possession or after extinction tenancy rights revert to the land holder-the State Govt; (3) Whether Board of Revenue has legislative powers to lay down a new law for grant of khatedari rights over and above the Act; (4) whether the judgment of the Larger Bench reported in 1991 RRD1 should be revoked or annulled in light of the provisions of the Act of 1955 - Answer given by the Full Bench (1) in the view of this Bench Larger Bench in its judgment '1991 RRD 1' has not laid down a good law because the Fajasthan Tenancy Act does not have any provision to confer tenancy right to the adverse possessor - Conferment of tenancy rights is against the basic spirit of this special legislation; (2) In the opinion of this Bench extinguishment of tenancy rithts create no khatedari rithts on the basis or	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	adverse possession; (3) In the opininon of this Bench, the Board does not have legislative power to lay down a new law for grant of khatedari rights; (4) In the opinion of this Bench, the judgment of Larger Bench reported in 1991 RRD 1 being not a good law, deserves to be set aside - The matter may now be placed before the concerned Bench for decision of appeal according to law. राजस्व मंडल की वृहद पीठ ने अपने निर्णय दिनांक 30–8–2018 ''सरजू बनाम पतरो'' में held किया है कि जिन प्रकरणो में Adverse possession के मामले लम्बित है उनमें भी 2011 आरआरडी पेज 508 में प्रदत्त मत लागू होगा, क्योंकि "Appeal is a contiuation of suit" है। उक्त प्रतिपादित सिद्धांत अनुसार प्रतिकूल कब्जे के आधार पर किसी अतिक्रमी को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। जहां तक विवादित भूमि के आवंटन अथवा नियमन का प्रश्न है, यदि अपीलांट वादी स्वयं को इस भूमि के नियमन या आवंटन का पात्र समझता है तो उसे इस सबंध में सक्षम अधिकारी के समक्ष विधिवत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विधि अनुसार नियमन या आवंटन की कार्यवाहीं करानी चाहिये थी। धारा 88 के तहत खातेदारी अधिकारों की घोषणा के लिये वाद में विकल्प स्वरूप नियमन या आवंटन के आदेश दिये जाना नियम विरूद्ध व अनुचित है। वर्तमान में विवादित आराजी आवंटित होकर जरिये नामांतरकरण सं. 112 आदेश दिनांक 17–5–97 से राजस्व रिकोर्ड में वन विभाग के नाम दर्ज होकर उनके कब्जेकाश्त में है। विवातिद आराजी गैर मुमकिन धोरा चारागाह एवं वन विभाग के नाम राजकीय भूमि के रूप में दर्ज है। परीक्षण न्यायालय के निर्णय अनुसार वादी अपीलांट मात्र अतिक्रमी के रूप में कभी कभी वादग्रस्त भूमि के कुछ हिस्से पर काबिज रहा है जिन्हें समय समय पर धारा 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानानुसार बेदखल किया जाता रहा है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयो ने उभय पक्ष को सुन कर राजस्व अभिलेख के आधार पर पूर्ण विवेचन व विश्लेषण करते हुये वादी अपीलार्थीग का वाद नियमानुसार सही खारिज किया है। हमारी सुविचारित राय में दोनो अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आलोच्य निर्णयों में विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण हमारे समक्ष दौराने बहस ऐसी कोई विधिक अथवा तात्विक त्रुटि जाहिर नहीं कर पाये जिसके आधार	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	पर द्वितीय अपील के दौरान उक्त निर्णयों में हस्तक्षेप किया जा सके। अतः हस्तगत अपील खारिज किये जाने योग्य है। परिणामतः हस्तगत द्वितीय अपील एतद्द्वारा खारिज की जाती है। दोनों अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो, नंबर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । (मनोज कुमार नाग) सदस्य (मोहनलाल नेहरा) सदस्य	